

बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

विज्ञापन सं.-25/2023 गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के अधीन बिहार अग्निशमन सेवान्तर्गत सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी (पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष) के कुल 21 (इक्कीस) रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है, इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत है :-

(क)

क्र.सं.	कोटि	अनुमान्य पदों की कुल संख्या	35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या
1.	अनारक्षित वर्ग	08	04
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02	00
3.	अनुसूचित जाति	03	01
4.	अनुसूचित जनजाति	01	00
5.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	04	01
6.	पिछड़ा वर्ग	02	01
7.	पिछड़े वर्ग की महिलाएँ	01	00
कुल		21	07

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2526, दिनांक- 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या – 00

(ग) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के आलोक में निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 04 (चार) प्रतिशत आरक्षित कुल पदों की संख्या- उक्त आरक्षण को स्थायी रूप से विमुक्त किया गया है।

2. **वेतनमान** :- पुनरीक्षित पे. लेवल-9

3. **शैक्षणिक योग्यता**:- मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान संकाय से स्नातक अथवा स्नातक (अग्नि अभियंत्रण) अथवा यांत्रिकी/ऑटोमोबाइल विषय में अभियंत्रण स्नातक की डिग्री के साथ राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय, नागपुर से मंडल अधिकारी कोर्स (Divisional officer course) उत्तीर्ण अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थान से वरीय पर्यवेक्षीय पदाधिकारी के लिए निर्धारित न्यूनतम तीन माह का प्रशिक्षण प्राप्त किये हों।

कार्यानुभव:- कम-से-कम 10 वर्ष का अग्निशमन क्षेत्र का कार्य अनुभव, जिसमें वरीय पर्यवेक्षीय पदाधिकारी के समकक्ष पद का न्यूनतम 02 वर्ष का कार्य अनुभव।

नोट:- (i) राज्य सरकार में पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष की कोटि अर्थात् वेतन स्तर-09 एवं इससे अधिक स्तर के पदाधिकारी वरीय पर्यवेक्षीय पदाधिकारी के रूप में अनुमान्यता होगी।

(ii) अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित विभाग/कार्यालय के विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकार का मान्य होगा।

(iii) शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि- 31.05.2023 तक का निर्गत होना चाहिए अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

4. **उम्र सीमा**-दिनांक 01.08.2022 को न्यूनतम 40 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 55 वर्ष होना चाहिए। सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष की होगी।

(i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक-16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-22218, दिनांक-12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक (बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक), जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है, परन्तु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तबतक अधिकतम 05 (पाँच) अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो। बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-22218, दिनांक-12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरान्त उनकी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम कुल 05 (पाँच) अवसर ही अनुमान्य होंगे।

5. **चयन का आधार** - चयन प्रक्रिया के लिए निर्धारित कुल 100 अंक का विभाजन निम्नवत होगा:-

(क) शैक्षणिक अर्हता- अधिकतम 50 अंक।

(ख) कार्यानुभव- अधिकतम 20 अंक।

(ग) साक्षात्कार- अधिकतम 30 अंक।

> शैक्षणिक अर्हता के लिए अधिकतम 50 अंक निम्न प्रकार विनिश्चित किया जायेगा:-

क्रमांक	योग्यता	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
1.	मैट्रिक	12 अंक	08 अंक	04 अंक
2.	इंटरमीडियट (+2)	16 अंक	12 अंक	08 अंक
3.	स्नातक	22 अंक	18 अंक	14 अंक
कुल		50 अंक	38 अंक	26 अंक

- परन्तु CGPA एवं ग्रेड में प्राप्तांक होने की स्थिति में बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत/अंकों में परिवर्तित किया जाएगा (अभ्यर्थी जिस वर्ष/सत्र (Session) में स्नातक/स्नातकोत्तर (अभियंत्रण) उत्तीर्ण हुए हों उस वर्ष/सत्र में बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा लागू CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत/अंकों में परिवर्तित करने का फार्मूला संलग्न करना अनिवार्य होगा) अन्यथा बोर्ड/विश्वविद्यालय के नियमावली नहीं रहने की स्थिति में AICTE द्वारा CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत/अंकों में परिवर्तित करने का फार्मूला मान्य होगा।

➤ 10 वर्ष से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के कार्यानुभव के लिए 02 अंक अधिकतम 20 अंक प्रदान किये जायेंगे।

- उक्त पद पर नियुक्ति के लिए मेधा का निर्धारण शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंकों में अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक के आधार पर किया जायेगा। अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन आरक्षण कोटिवार किया जायेगा।

नोट:—इस विज्ञापन हेतु आवेदन आमंत्रित करने के पश्चात् अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आयोग स्वविवेक से स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करेगा अथवा अन्य मापदंड निर्धारित करेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट अथवा आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर आयोग स्वविवेक से साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित करेगा।

6. आरक्षण:-

- (i) ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।
- (ii) सम्प्रति राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को मात्र महिला संबंधी आरक्षण का लाभ सामान्य कोटि के अंतर्गत ही देय होगा। इन्हें अन्य कोई आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (iii) आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।

(iv)(A) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :-

(a) जाति प्रमाण-पत्र

(b) स्थायी निवास/मूल निवास प्रमाण-पत्र

(B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र/मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/स्थायी निवास/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

- (v) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षित कोटि निम्नवत् है :-

क्र.सं.	आरक्षित कोटि	ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि	कोटि कोड
1.	अनुसूचित जाति (Schedule Caste)	SC	02
2.	अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe)	ST	03
3.	अति पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)	EBC	04
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class)	BC	05
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)	EWS	07

- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2342, दिनांक- 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को इस विज्ञापन की कंडिका 1(क) में वर्णित रिक्ति के अनुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक- 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इस विज्ञापन की कंडिका-1 (क) 2 में वर्णित रिक्ति के अनुसार 10% आरक्षण का लाभ लेने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची -I (प्रपत्र -I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी परंतु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। आय एवं परिसम्पत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा। इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होंगे।

- (viii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापक- 16144, दिनांक-28.11.2012 में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की प्रक्रिया के बीच किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

- (ix) सभी वांछित प्रमाण पत्र इस विज्ञापित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यदि अतिरिक्त शुल्क के साथ आवेदन भरने का प्रावधान किया जाता है, तो उससे अर्हता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी।

नोट:-(1) ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएँ/शर्त/जानकारी/किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।

नोट:-(2) साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण-पत्र मूल में (Original copy) सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-

1. मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य एवं अंक के निर्धारण हेतु)।
2. इंटरमीडियट का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र (अंक के निर्धारण हेतु)।
3. स्नातक/स्नातक (अभियंत्रण) का प्रमाण पत्र (विज्ञापन की कंडिका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।
4. स्नातक/स्नातक (अभियंत्रण) का अंक पत्र (विज्ञापन की कंडिका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।
5. राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय, नागपुर से मंडल अधिकारी कोर्स उत्तीर्णता संबंधित प्रमाण पत्र।

अथवा

केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थान से वरीय पर्यवेक्षीय पदाधिकारी के लिए निर्धारित न्यूनतम तीन माह का प्रशिक्षण प्राप्त होने संबंधी प्रमाण पत्र (जिसमें कार्य अवधि एवं मान्यता प्राप्त संस्थान होने का स्पष्ट उल्लेख हो)।

6. कार्यानुभव हेतु संबंधित विभाग/कार्यालय के विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र।
7. अभ्यर्थी जिस वर्ष/सत्र में स्नातक/स्नातक (अभियंत्रण) उत्तीर्ण हुए हों उस वर्ष/सत्र का बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत/अंकों में परिवर्तित करने का फार्मूला संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र) (दावा करने की स्थिति में)।
9. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)। (दावा करने की स्थिति में)।
10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)।
11. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)।
12. बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र (शुल्क में रियायत/छूट का दावा करने के स्थिति में)।
13. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक- 26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आधार पर निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र (दावा करने की स्थिति में)।
14. केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में साक्षात्कार में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।
15. पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।
16. हाल ही खिंचा हुआ 4 (चार) फोटो।
17. ऑनलाइन भरे गये आवेदन की प्रति।

उपर्युक्त प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे त्रुटि सुधार का एक अंतिम अवसर (अधिकतम एक सप्ताह) देते हुए औपबधिक रूप से साक्षात्कार में भाग लेने की शर्त अनुमति दी जायेगी। यदि निर्दिष्ट अवधि के बाद भी अभ्यर्थी सही प्रमाण-पत्र नहीं समर्पित कर पाते हैं, तो उपलब्ध साक्ष्य के गुण दोष के आधार पर इस चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उसकी पात्रता की जाँच कर और सभी चरणों में योग्य और सफल पाए जाने पर ही उसे अंतिम रूप से सफल माना जायेगा, अन्यथा उसे असफल एवं अयोग्य घोषित कर उसे काली सूची में दर्ज किया जा सकता है।

7. शुल्क:-

- (i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए- 100/- (एक सौ) रूपये
- (ii) केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए- 25/- (पच्चीस) रूपये
- (iii) बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग) महिला उम्मीदवारों के लिए- 25/- (पच्चीस) रूपये
- (iv) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए- 100/- (एक सौ) रूपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

वैसे सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिला उम्मीदवार कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिला उम्मीदवार कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उम्मीदवार (बिहार राज्य के स्थायी निवासी) के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं बिहार राज्य के स्थायी महिला निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं बिहार राज्य की स्थायी महिला निवासी कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

8. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:- (i)

1.	ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	02.05.2023
2.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	31.05.2023

- उम्मीदवारों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन/कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
- अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं अन्य योग्यता/आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए साक्षात्कार आयोजित करने की कार्रवाई की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गये प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच और मूल प्रमाण पत्रों से मिलान सिर्फ साक्षात्कार के समय ही किया जायेगा। इसके पूर्व इसकी जाँच सामान्यतया नहीं होगी और बाद में जाँच में प्रमाण-पत्र सही नहीं पाये जाते हैं, अथवा अभ्यर्थी द्वारा दिया गया तथ्य/साक्ष्य गलत/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन रद्द हो जायेगा और इस पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा और उस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। साथ ही इस कारण अभ्यर्थी को वर्तमान और भविष्य के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी अभ्यर्थी की ही होगी।

(ii) ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है।

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे।

(A) रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन डाटा को Edit करने का Option रहेगा, जो Payment करने के पूर्व तक ही उपलब्ध होगा, इसमें रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी किसी भी प्रविष्टि (नाम, पिता/पति/माता, आरक्षण कोटि इत्यादि) को Edit करने का प्रावधान रहेगा।

(B) Payment करने एवं आवेदन के Final Submission किये जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गयी प्रविष्टि को पुनः Edit कर सकते हैं, जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने की अन्तिम निर्धारित तिथि के बाद एक सप्ताह (दिनांक-07.06.2023 तक) का समय दिया जायेगा।

परन्तु वे निम्न प्रविष्टियों में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे:-

(i) जिन प्रविष्टियों से Fee का निर्धारण प्रभावित होता है:-

(क) बिहार के मूलवासी Female अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का दावा किया गया है, वे Payment करने के बाद बिहार के मूलवासी Female होने के दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।

(ख) बिहार के मूलवासी SC/ST कोटि के अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का दावा किया गया है, वे Payment करने के बाद बिहार के मूलवासी SC/ST कोटि के दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।

(ii) Payment करने के बाद अभ्यर्थी को नाम, पिता/पति/माता के नाम में Edit करने का अवसर नहीं मिलेगा। उपर्युक्त वर्णित बिन्दुओं को छोड़कर शेष Fields में अभ्यर्थी वांछित परिवर्तन कर सकेंगे।

वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने गैर-रियायती परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए आवेदन किया है, यदि वे बाद में Edit करके रियायती परीक्षा शुल्क वाली कोटियों में जाते हैं, तो उनके द्वारा Examination Fee के भुगतान की गयी अधिक राशि वापस नहीं होगी।

वैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का लाभ लेते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और वे Edit करके दूसरे गैर-रियायती परीक्षा शुल्क वाली कोटियों में आवेदन करना चाहते हैं, वे आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व आवेदक अपने रजिस्ट्रेशन को रद्द कर सकता है तथा उसी Mobile No./Email ID से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नये सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जायेगा।

ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

ऑनलाईन आवेदन में भरे गये सूचनाओं का मूल प्रमाण-पत्र/अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

(iii) उक्त Edit करने की तिथि के बाद ऑनलाईन आवेदन के डाटा में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा, इसकी विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है:-

सुधार/परिवर्तन हेतु प्राप्त बिन्दु	आयोग का निर्णय
आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग (Gender), आधार संख्या, जाति, आरक्षण कोटि, बिहार राज्य के सरकारी सेवक, पत्राचार का पता, स्थायी पता, अन्य डाटा जैसे:- फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षिक योग्यता, अनुभव इत्यादि में परिवर्तन/सुधार (Edit) के संबंध में।	(क) ऑनलाईन आवेदन के दौरान Edit की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद प्राप्त किसी भी तरह के परिवर्तन एवं सुधार (Edit) के अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। (ख) आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक आवेदक द्वारा भरे गये डाटा को अंतिम समझा जायेगा। (ग) उम्मीदवार द्वारा भरे गये डाटा और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र/कागजात में कोई भिन्नता आती है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
मोबाईल/ई-मेल में परिवर्तन/सुधार (Edit) के संबंध में।	एक बार Registration हो जाने के बाद परिवर्तन/सुधार संभव नहीं है। अतः उक्त संबंध में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।
एक से अधिक आवेदन करने या भरने के संबंध में।	Registration में गलत विवरण अंकित हो जाने की स्थिति में आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व आवेदक Registration को रद्द कर सकता है तथा उसी मोबाईल/ई-मेल से दूसरा Registration एवं नये सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है। वैसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जायेगा। आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अगर किसी अभ्यर्थी के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, ऐसी स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।
एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में।	किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।

- (iv) उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।
- (v) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी0 अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. अंकित नहीं करेंगे।
- (vi) मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा की अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।
- (vii) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (viii) उम्मीदवार हाल का खिंचा हुआ अपना एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।
- (ix) विज्ञापन के लिए आवेदन भरने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।
- (x) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
- (xi) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर **Registration Number, Bar Code** एवं **Submitted Application Number** अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (xii) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर

- उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
- (xiii) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास ऑनलाइन आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।

9. महत्वपूर्ण निर्देश :-

- (i) अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध "Download Filled Application Section" से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण-पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण-पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।
10. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर आयोग अंतिम निर्णय लेगा।
11. योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है।
12. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
13. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे, साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट तथा अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
14. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।


26/4/23
परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।